निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस विज्ञप्ति

कोविड–19 महामारी से अपने प्रमुख पालनकर्ता को खो देने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारो की सहायता के लिये **क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना** के सम्बन्ध में उ0प्र0पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नि0लि0 से पत्र प्राप्त है।

परियोजना की लागत एवं वित्त पोषण पद्धति इस प्रकार है–

1–परियोजना लागत–अधिकतम रू0 5 लाख प्रति इकाई।
2–ऋण की मात्रा–अधिकतम रू0 4 लाख प्रति इकाई।
3–कैपिटल क्रेडिट लिंक सब्सिडी–परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अथवा रू0 1 लाख, जो भी कम हो।
4–ब्याज दर–लाभार्थी से 6 प्रतिशत वार्षिक एवं चैनल पार्टनर से 3 प्रतिशत वार्षिक।

उक्त योजना में निम्न अर्हता निर्धारित की गयी है–

1–लाभार्थी पिछड़ी जाति का हो।
2–लाभार्थी के पारिवारिक आय अधिकतम रू0 3 लाख वार्षिक हो।
3–लाभार्थी परिवार के प्रमुख पालनकर्ता की मृत्यु कोविड–19 से 30 जून 2021 तक हुई हो।
4–उक्त प्रमुख पालनकर्ता की मृत्यु के समय आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य रही हो।
5–मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु, स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/खण्ड विकास अधिकारी से निर्गत हो।

अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता हैं कि सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षानुसार कोविड–19 महामारी से अपने प्रमुख पालनकर्ता को खो देने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगो का जो उपर्युक्त अर्हता धारित करते हो,अपना पूर्ण विवरण तीन दिवस में कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कलेक्ट्रेट भवन,द्वितीय तल सिद्धार्थनगर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(विकास)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 156 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2020–21 दिनांक 12 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण बस्ती, मण्डल बस्ती।
5. समस्त,उपजिलाधिकारी/,खण्ड विकास अधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध साथ से कि अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि समस्त हिन्दी/उर्दू समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद सिद्धार्थनगर की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय/कलेक्ट्रेट/विकास भवन आदि पर चस्पा हेतु।

12.08.21

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।